# एस. एन. के. पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना, जिला– सीकर

## NAAC द्वारा "B" ग्रेड प्रत्यायित

# विवरणिका

## सत्र 2022–23

**S. N. K. P. GOVT. COLLEGE, NEEM KA THANA, DISTRICT- SIKAR (RAJASTHAN)**
**E-mail- snkpgovtcollegeneemkathana@gmail.com**
**Ph: 01574-230063 Fax: 01574-230063**

# महाविद्यालय –एक परिचय

स्व.सेठ नन्द किशोर जी पटवारी

एस. एन. के. पी. राजकीय महाविद्यालय नीमकाथाना, राजस्थान के ग्रामीण परिक्षेत्र के ताम्रपाषाण कालीन गणेश्वर सस्कृति के अचंल में सीकर–कोटपूतली सड़क मार्ग एवं जयपुर –खेतड़ी सड़क मार्ग पर स्थित है। गणेश्वर सस्कृति इस क्षेत्र के गौरव का द्योतक है। यहाँ के शिक्षा प्रेमी एवं दानवीर सेठ श्री नन्दकिशोर पटवारी की प्रगाढ़ इच्छा व सद्भावना से इस महाविद्यालय के विशाल भवन का निर्माण कराया गया और सन् 1966 में यह महाविद्यालय प्रारम्भ हुआ ।

सर्व प्रथम यहाँ स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा प्रदान की गई इसके पश्चात् राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र के उच्च शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1996–97 में इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर तक क्रमोन्नत कर दिया । वर्तमान में यहाँ कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक स्तर की शिक्षा के साथ–साथ हिन्दी, राज.शास्त्र, इतिहास, भूगोल, लेखा एवं व्यावयसायिक सांख्यिकी, व्यावसायिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा रसायन शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन की व्यवस्था है। यहाँ सहशैक्षणिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों की समुचित सुविधायें उपलब्ध हैं। महाविद्यालय में विद्वान एवं अनुभवी प्राध्यापक कार्यरत हैं जो विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु सदैव प्रयत्नशील हैं। यह महाविद्यालय पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर से सम्बद्ध है तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) बेंगलूरू द्वारा ''B'' ग्रेड प्रत्यायित है।

# प्राचार्य की कलम से

प्रिय विद्यार्थियों,

नव शैक्षणिक सत्र 2022–23 में आप सभी का महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। यहाँ स्नातक एवं स्नात्तकोतर स्तर पर कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग के विषयों में अध्ययन की सुविधा है । इस महाविद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय, वाचनालय, कम्प्यूटर्स एवं विज्ञान की सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। महाविद्यालय में सुसज्जित ICT Room, Smart Class Room संचालित हैं। सत्र 2020–21 में e-classes व प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध रही है। जिनका उपयोग कर अनेक विद्यार्थियों ने अपने भावी जीवन को उन्नत एवं उज्ज्वल बनाया है। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार विभिन्न छात्रवृतियाँ दी जाती हैं। Covid-19 विश्वव्यापी महामारी की द्वितीय लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा घोषित Lock down के दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा e-contents/model question paper/model answers/notes pdf/video lecture आदि तैयार कर विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये हैं।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में सहशैक्षणिक गतिविधियाँ तथा खेलकूद, युवा विकास केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडेटस (एन.सी.सी.), रोवर स्काउट, रेन्जर, योजना मंच, महिला प्रकोष्ठ, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आदि गतिविधियाँ सम्पन्न की जाती हैं। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जीसी.) से सम्बद्ध है अतः महाविद्यालय के विकास हेतु यू.जी.सी. एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) से लगातार आर्थिक सहायता मिल रही है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी संकाय सदस्य एवं कार्यालय कर्मचारी कार्यरत हैं। वे हर समय विद्यार्थियों के अध्यापन एवं मार्गदर्शन हेतु तत्पर हैं। महाविद्यालय में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण है। महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव श्रेष्ठ रहा है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य उच्च गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। जिसके लिए महाविद्यालय प्रशासन निरन्तर प्रयासरत है। उच्च शैक्षणिक दृष्टि से महाविद्यालय का गौरवमय इतिहास रहा है। यहाँ से उत्तीर्ण विद्यार्थी देश के विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रो में महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, निजी उद्यम संचालित कर देश के विकास में सहभागी हैं तथा लोक सभा, विधान सभा एवं स्थानीय निकायो में जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर देश सेवा कर रहे हैं ।

अतः आशा है कि आप अपने वांछित एवं वैकल्पिक पाठयक्रमों में प्रवेश लेकर अपने प्राध्यापकों, संस्था के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अनुशासित व विनम्रशील रहकर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अग्रसर होंगे। प्रवेशित समस्त विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओ में उपस्थित होंवें तथा महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करें तथा महाविद्यालय के सोहार्दपूर्ण व गरिमामय वातावरण को बनाये रखें।

आपके श्रेष्ठ एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ !

डॉ. हरिश कुमार<br>
प्राचार्य

# उपलब्ध पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं।

## कला संकाय

### I स्नातक (बी.ए.) पास कोर्स

#### बी.ए. भाग प्रथम

अनिवार्य विषय :–
1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4. पर्यावरण अध्ययन

**वैकल्पिक विषय :–**

1. हिन्दी साहित्य
2. अंग्रेजी साहित्य
3. संस्कृत साहित्य
4. दर्शनशास्त्र
5. अर्थशास्त्र
6. इतिहास
7. भूगोल
8. राजनीति विज्ञान
9. समाजशास्त्र

**उपलब्ध वैकल्पिक विषय समूह**

**वर्ग(Sections):**

A -राजनीति विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य

B-राजनीति विज्ञान, भूगोल, संस्कृत साहित्य

C-राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र

D-राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, दर्शनशास्त्र

E-राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य, इतिहास

F-राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य

G-राजनीति विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र

H-भूगोल, हिन्दी साहित्य, दर्शनशास्त्र

I-भूगोल, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र

J-भूगोल, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र

K-भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य

L-भूगोल, इतिहास, संस्कृत साहित्य

M- हिन्दी साहित्य, इतिहास, दर्शनशास्त्र

N-राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य

1. प्रत्येक **विषय समूह (वर्ग)** में 80 स्थान निर्धारित हैं।
2. आवेदन पत्र में विद्यार्थी विषय समुह चयन हेतु 5 विषय समुह वरीयता क्रम में अंकित करें।
3. विषय समुह का आवंटन प्राप्तांको के आधार पर वरीयता क्रम में किया जायेगा।

**बी.ए.भाग द्वितीय एवं तृतीय** में **बी.ए.भाग प्रथम में आंवटित** विषय ही लेने होंगें।

## II स्नातकोत्तर (एम.ए.)

1. हिन्दी साहित्य
2. इतिहास
3. भूगोल
4. राजनीति विज्ञान

# वाणिज्य संकाय

## III स्नातक (बी,कॉम) पास कोर्स

### बी.कॉम. भाग प्रथम

अनिवार्य विषय :—

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4. पर्यावरण अध्ययन
5. पुस्तपालन (Book Keeping) (For Non-Commerce Students)

**वैकल्पिक विषय :—**

1. व्यावसायिक प्रशासन
2. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी
3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन

**बी. कॉम .भाग द्वितीय एवं तृतीय** में **बी. कॉम.भाग प्रथम में आंवटित** विषय लेने होंगें।

## IV स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)

1. व्यावसायिक प्रशासन (B.Admn.)
2. लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (A.B.S.T)
3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन (E.A.F.M.)

# विज्ञान संकाय

## V स्नातक (बी,एससी.) पास कोर्स

### बी,एससी. भाग प्रथम

**अनिवार्य विषय :—**

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4. पर्यावरण अध्ययन

**वैकल्पिक विषय :—**

1.रसायन विज्ञान 2. भौतिक विज्ञान 3. गणित 4. प्राणी विज्ञान
5. वनस्पति विज्ञान 6. भूगर्भ विज्ञान

**(क) गणित वर्ग :—**

निम्नानुसार किसी एक **विषय समूह** का चयन करें

1. भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान
2. भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान

**(ख) जीव विज्ञान वर्ग :—**

रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान

**बी.एससी. भाग द्वितीय एवं तृतीय** में **बी.एससी. भाग प्रथम** में आंवटित विषय ही लेने होंगें।

## VI स्नातकोत्तर (एम.एससी.)

1.रसायन विज्ञान

## कक्षाओं में स्वीकृत वर्ग एवं स्थान

| कक्षा एवं विषय | स्वीकृत वर्ग | प्रवेश सख्ंया | |
|---|---|---|---|
| | | प्रति वर्ग | कुल स्थान |
| **1. बी.ए. भाग प्रथम** | **14** | **80** | **1120** |
| हिन्दी साहित्य | 8 | 80 | 640 |
| इतिहास | 6 | 80 | 480 |
| राजनीति विज्ञान | 8 | 80 | 640 |
| दर्शनशास्त्र | 4 | 80 | 320 |
| भूगोल | 7 | 80 | 560 |
| संस्कृत साहित्य | 2 | 80 | 160 |
| अर्थशास्त्र | 2 | 80 | 160 |
| समाजशास्त्र | 2 | 80 | 160 |
| अंग्रेजी साहित्य | 3 | 80 | 240 |
| **2. बी.एससी. भाग प्रथम** | **5** | **70** | **350** |
| जीव विज्ञान वर्ग | 1 | 70 | 70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| गणित वर्ग | 4 | 70 | 280 ( **20 सीटें भूगर्भ विज्ञान सहित** ) |
| **3. बी.कॉम. भाग प्रथम** | **4** | **80** | **320** |
| **4. एम.ए.** | | | |
| हिन्दी साहित्य | 1 | 60 | 60 |
| इतिहास | 1 | 60 | 60 |
| राजनीति विज्ञान | 1 | 60 | 60 |
| भूगोल | 1 | 60 | 60 |
| **5.एम.एससी.** | | | |
| रसायन विज्ञान | 1 | 30 | 30 |
| **6. एम.कॉम.** | | | |
| व्यावसायिक प्रशासन | 1 | 60 | 60 |
| लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी | 1 | 60 | 60 |
| आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध | 1 | 60 | 60 |

# प्रवेश प्रक्रिया

1. बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/ भाग प्रथम एवं एम.ए./एम.कॉम./एम.एससी. पूर्वार्द्ध के प्रवेश आवेदन पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के बेवपोर्टल http://hte.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन भरे जायेगें। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के सभी निर्देश बेव पोर्टल पर प्राप्त होगें। सत्र 2021–22 के महाविद्यालय स्नातक भाग प्रथम व भाग द्वितीय, एवं स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के नियमित व पूर्व छात्र (Ex.) विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं भरना है। सत्र 2022–23 के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को परिवार का आय प्रमाण–पत्र व ओबीसी, एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित दिनांक तक अपने महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि तक यदि वांछित प्रमाण–पत्र विद्यार्थी प्रस्तुत नहीं करता तो उसे सामान्य आयकरदाता की श्रेणी का शुल्क जमा करवाना होगा। स्नातक पार्ट – II व पार्ट–III में प्रवेश नवीनीकरण के लिए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने पर भी आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा घोषित दिनांक तक ई–मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी का प्रवेश शुल्क लौटाया जाएगा तथा अस्थायी प्रवेश निरस्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश सम्भव नहीं होगा।
2. महाविद्यालय के बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/ भाग द्वितीय, तृतीय में प्रवेश नवीनीकरण हेतु ई–मित्र पर शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि शीघ्र घोषित की जायेगी।
3. स्नातक पार्ट–II व III में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।
4. यदि आप स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षा में एक से अधिक विषयों में आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक विषय के लिये अलग आवेदन करें । एक विषय से दूसरे विषय /विषयों में आवेदन पत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

5. प्रवेश आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात् प्रवेश योग्य छात्रों की सूची नियत तिथि को सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। प्रवेशित छात्र निश्चित तिथि तक प्राचार्य द्वारा गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें तथा निर्धारित फीस तत्काल जमा करवायेंगे।
6. मूल प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु निर्धारित समय तक उपस्थित न होने की स्थिति में प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। प्रवेश नीति के अनुसार उसे पुनः अवसर नहीं मिलेगा।
7. अधूरे, बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।
8. विस्तृत जानकारी हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति (Admission Policy) 2022–23 देखें।
9. महिला छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्राऐं आवेदन पत्र महाविद्यालय से या आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के वेब पोर्टल पर http://hte.rajasthan.gov.in/college/gcneemkathana/ के वेब पेज से डाउनलोड कर सकतें है। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाना होगा। **छात्रावास में प्रवेशित छात्राओं को ही नियमानुसार छात्रावासी छात्रवृति देय होगी।**

# प्रवेश नियमावली

1. प्रवेशार्थी आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति सत्र 2022–23 तथा विवरणिका का सावधानी पूर्वक आवश्यक रूप से पूर्ण अध्ययन करें।
2. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा ।
3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
5. जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिये । उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद नियमित प्रवेश नही हो सकेगा ।
6. प्रवेश आवेदन –पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख (दस्तावेज) नत्थी होने आवश्यक हैः–

क. अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका /इन्टरनेट से प्राप्त, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपियॉ प्रवेशोपरान्त प्राचार्य द्वारा गठित जॉच समिति से मूल प्रमाण पत्रों तथा छाया प्रतिलिपियों के सत्यापन के पश्चात ही शुल्क जमा किया जा सकेगा ।

ख. सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र तथा अंकतालिका की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतिलिपि।

ग. विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (जो विद्यार्थी इतर विश्वविद्यालय /बोर्ड से आ रहे हैं) प्रवेश के एक मास में जमा कराना होगा।

घ. यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग (MBC)/आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) का है तो प्रमाण पत्र हेतु जिला कलेक्टर /प्रथम श्रेणी के दण्डनायक/तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण

पत्र संलग्न करें।

ड. जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हो, जो आयकर दाता नहीं है तो, तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र देने पर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

च. आय का विवरण–पत्र।

छ. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित खेलकूद /सह शैक्षणिक /शिक्षणेत्र् प्रमाण पत्र, जिनके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

7. जिन विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जायेगा, उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक घोषित कर दिये जायेगें। इसके उपरान्त विद्यार्थियों को निश्चित तिथि तक शुल्क जमा करवाकर प्रवेश –पत्र ,परिचय –पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड ले लेना चाहिये। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा ।

8. विद्यार्थी को महाविद्यालय में सदैव अपने साथ अपना परिचय पत्र रखना होगा ।

9. आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के पिता/पति/अभिभावक के सही हस्ताक्षर होने चाहिये। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा ।

10 महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, महाविद्यालय के नियमो का उल्लंघन किया, **अपने पिता/अभिभावक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वंय ने हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।**

11. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनापत्ति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैद्य समझा जायेगा, जिसके लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।

12. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक काशनमनी वापस नहीं ली जाने की स्थिति में, राजकीय कोष में जमा करा दी जायेगी।

13. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर, बिना कारण बताये किसी भी आवेदन –पत्र को अस्वीकार कर सकेगें।

14. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पटृ देखना चाहिये एवं प्रत्येक टर्म के अन्त में उपस्थिति की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगायी जावेगी। सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

15. एन.सी.सी./एन.एस.एस/रोवर रेजर/युवा विकास मंच में प्रवेश हेतु सम्बन्धित अधिकारी से सम्पक्र करें तथा सूचना पट्ट देखें।

16. विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जो विद्यार्थी एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटिंग /अन्तर महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने भेजे जायेगें, उन्हें उन दिवसों की उपस्थिति दी जायेगी। **यदि कोई छात्र विषय परिवर्तन करता है तो, पूर्व विषय की उपस्थिति नये विषय में नही जोड़ी जायेगी।**

17. प्रत्येक विद्यार्थी को भिन्न–भिन्न संकाय /विषय में प्रवेश हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र भरने होंगे।

18. विभिन्न संकायों में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता प्रतिशत होने पर ही आवेदन पत्र को जमा किया जायेगा।

19. वर्तमान नियमों में राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा किये गये परिर्वतन व संशोधन प्रभावी होगें।

20. विद्यार्थी अपनी समस्याओं/शिकायतों के निवारणार्थ सम्बन्धित समिति से सम्पक्र कर सकता है।

21. विद्यार्थी को आवंटित विषय ही विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र में भरने होंगे अन्यथा वह नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा।

## शुल्क –सम्बन्धी सूचनाएँ

(अ) राज्य शुल्क

1. प्रवेश शुल्क 2.00 रू.
2. पंजीकरण शुल्क 5.00 रू.
3. पुनः प्रवेश शुल्क 2.00 रू.
4. टी.सी. शुल्क 5.00 रू.
5. प्रयोगशाला शुल्क (केवल विज्ञान एवं भूगोल के विद्याार्थियो से) स्नातक 100.00 रू.
   स्नातकोत्तर 150.00 रू.
6. शिक्षण शुल्क (प्रतिमाह)

| कक्षा | एस.सी./एस.टी./ओबीसी/एम.बी.सी./छात्रायें | सामान्य |
|---|---|---|
| स्नातक–भाग प्रथम | शून्य | 12.00 रू. |
| स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय | शून्य | 15.00 रू. |
| स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध एवं उत्तरार्द्ध | शून्य | 20.00 रू. |

(आ) छात्र कोष शुल्क

| | सामान्य (प्रति वर्ष) | एस.सी/एस.टी/ओबीसी/एम.बी.सी (प्रति वर्ष) |
|---|---|---|
| 1. खेल | 30.00 | 15.00 |
| 2. वाचनालय | 20.00 | 10.00 |
| 3. कॉलेज पत्रिका | 15.00 | 15.00 |
| 4. छात्र परिषद | 15.00 | 15.00 |
| 5. विकास शुल्क | 25.00 | 12.50 |
| 6. मनोरंजन | 15.00 | 15.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 7. सर्व प्रयोजन | 15.00 | 7.50 |
| 8. पुस्तकालय | 5.00 | 2.50 |
| 9. मुक्त द्वार | 5.00 | 2.50 |
| 10. निर्धन छात्रकोष | 4.00 | 4.00 |
| 11. परिचय पत्र | 25.00 | 25.00 |
| 12. चिकित्सा शुल्क | 3.00 | 3.00 |
| 13. स्काउटिंग | 10.00 | 10.00 |
| 14. काशनमनी | 25.00 | 25.00 |
| 15. योजना मंच | 4.00 | 4.00 |
| 16. अकादमिक परीक्षा | 4.00 | 4.00 |
| 17. डाक व्यय | 5.00 . | 5.00 केवल ओ.बी.सी |
| योग | 205.00 | 155.00 |

(इ) कम्प्यूटर शुल्क 450.00 रू.

(ई) चरित्र प्रमाण –पत्र शुल्क 5.00 रू.

**(उ) विश्वविद्यालय शुल्क**

1. नामांकन शुल्क (नये विद्यार्थियों से ) 100.00 रू.
2. विकास शुल्क 50.00 रू.
3. पात्रता शुल्क (बाहरी विद्यार्थियों से ) 100.00 रू.
4. स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क 50.00 रू.
5. समूह दुर्घटना बीमा 20.00 रू.

(ऊ) निम्न खेलों के लिए पृथक शुल्क देना होगा–

1. क्रिकेट (न्यूनतम 22 खिलाड़ी होने पर) 30.00 रू. प्रति माह
2. बैडमिन्टन 30.00 रू. प्रतिमाह
3. टी.टी. 15.00 रू. प्रतिमाह

(ए) मूल परिचय पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने पर 100.00 रू. शुल्क एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही डुप्लीकेट परिचय पत्र जारी किया जायेगा।

(ऐ) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश शुल्क के साथ महाविद्यालय विकास शुल्क 150/– जमा कराना होगा जिसकी रसीद महाविद्यालय विकास समिति (पंजीकृत)जारी करेगी।

**शिक्षण शुल्क में छूट के नियमः**

निम्नांकित से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा (सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है)

1. जिन विद्यार्थियो के अभिभावक राज्य कर्मचारी है तथा आयकर नहीं देते हैं।

2. एस.सी. / एस.टी / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी विद्यार्थियो से

3. समस्त छात्रायें

4. निशक्त विद्यार्थी

5. स्वत्रंता सेनानियों / युद्ध में शहीद सैनिक के आश्रित

6. भारतीय सेना में मोर्चे पर नियुक्त सैनिक के पुत्र / पुत्री

7. आयकर न देने वाले राज्य कर्मचारियो के ऐसे सहोदर भाई, जो कर्मचारी पर आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आश्रित हों।

**शुल्क भुगतान सम्बन्धी नियम–**

1. शिक्षण शुल्क पूर्ण सत्र का प्रवेश के समय देना होगा ।

2. काशनमनी के अतिरिक्त महाविद्यालय में जमा करवाया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नही किया जावेगा।

3. निर्धारित तिथि तक अपना शुल्क जमा न करवाने पर प्रवेश रद्द कर दिया जावेगा।

4. राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित शिक्षण शुल्क या अन्य विद्यार्थियो को देना होगा ।

## सत्र 2022–23 के लिये कुल शुल्क निम्नानुसार है।

| S.No. | CLASS | Category | Gen. | | ST/SC | OBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Boys | Girls | Boys/Girls | Boys/Girls |
| 1 | B.A./B.Com.-I | NEW | 1147 | 967 | 912 | 917 |
| 2 | B.Sc.-I/B.A.-I (with Geograpy/Psychology) | NEW | 1247 | 1067 | 1012 | 1017 |
| 3 | B.A./B.Com.-II,B.A./B.Com.-III | NEW | 1183 | 967 | 912 | 917 |
| 4 | B.Sc.-II,III/B.A.-II,III (with Geograpy/Psychology) | NEW | 1283 | 1067 | 1012 | 1017 |
| 5 | B.A./B.Com.-II,B.A./B.Com.-III | RENEWAL | 613 | 497 | 442 | 447 |
| 6 | B.Sc.-II,III/B.A.-II,III (with Geograpy/Psychology) | RENEWAL | 777 | 597 | 542 | 547 |
| 7 | M.A./M.Com. (P) | NEW | 757 | 517 | 462 | 467 |
| 8 | M.A.(Geography)/M.Sc. (P) | NEW | 907 | 667 | 562 | 617 |
| 9 | M.A./M.Com. (F) | RENEWAL | 773 | 497 | 442 | 447 |
| 10 | M.A.(Geography)/M.Sc. (F) | RENEWAL | 887 | 647 | 592 | 597 |

# महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं
# आर्थिक सुविधाएँ एवं छात्रवृत्तियाँ

## देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग (1. बंजारा, बालादेवा, लबाना 2. गाडिया –लोहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका रैबारी) की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12 वीं की परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक लाने व राजकीय महाविद्यालयो में स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययन हेतु प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रतिशत वरीयता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जावेगी ।

प्रोत्साहन राशि–: विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओ के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत रहकर स्नातक प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ष में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाली और स्नातकोत्तर प्रथम में 60 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जावेगी इस हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ छात्रा के द्वारा प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद, जाति प्रमाण पत्र (विशेष पिछडा वर्ग) मूल निवास प्रमाण पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी) गत परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक अंकतालिका आदि की प्रमाणित फोटो प्रतियाँ, माता–पिता/अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (छः माह से अधिक पुराना न हो) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक स्थित छात्रा के खाते की पास बुक की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

## मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2012

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिये 500 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान की जावेगी । यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढाने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई हैं।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अन्य आय परिवारों के पात्र छात्र–छात्राओं को 500/– रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/– रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा ।

पात्रता–: इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हो।

1. जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में संकायवार वरीयता (मैरिट) सूची अनुसार निम्न स्थान प्राप्त किया हुआ हो–
   कला – प्रथम स्थान से 75000 तक स्थान
   विज्ञान– प्रथम स्थान से 75000 तक स्थान
   वाणिज्य– प्रथम स्थान से 20000 तक स्थान
2. उसके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख या कम होगी।
3. वह राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज.उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं।
4. वह राजस्थान का मूल निवासी हो।
5. उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नही मिल रहा हो ।
6. उसका राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हो।

**1. शिक्षण शुल्क में छूटः** प्रत्येक कक्षा में शुल्क देने वाले कुल विद्याार्थियों के 10 प्रतिशत तक पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं 10 प्रतिशत तक अर्द्ध शुल्क मुक्ति की सुविधा है इस हेतु उन विद्याार्थियों को जिनके अभिभावक आयकर नही देते , निर्धारित प्रपत्र उचित तरीके से भरकर प्रस्तुत करना होगा।

**2. रेल्वे व बस कन्सेशनः** दशहरा/शीत/ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यार्थी को कॉलेज से मूल निवास तक जाने तथा वापस आने के लिये रेल्वे/बस–रियायत देय होगा। इस हेतु प्रार्थना–पत्र पूर्ण भरकर एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

## 3. मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना (2015) :

राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाना है।

राजस्थान मूल की वे छात्राऐं जिन्होंनें राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।

## 4. समाज कल्याण विभाग द्वारा देय मैट्रिकोत्तर छात्रवृति :

(अ) राजस्थान के अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियो को छात्रवृति नियमानुसार देय है।

दर प्रति माह

| ग्रुप | छात्रावासी | अछात्रावासी | नेत्रहीन विद्यार्थियो को रीडर प्रभार |
|---|---|---|---|
| ग्रुप–I | 1200 रू. | 550 रू. | 240 रू |
| ग्रुप– II | 820 रू. | 530 रू. | 200 रू. |
| ग्रुप– III | 570 रू. | 300 रू. | 160 रू. |

(ब) राजस्थान की अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियो को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति नियमानुसार देय है।

दर प्रति माह

| वर्ग | छात्रावासी | अछात्रावासी |
|---|---|---|
| स्नातक | 400.00 | 210.00 |
| स्नातकोत्तर | 510.00 | 355.00 |

6. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्राथमिकता क्रम :

1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी 2. निःशक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा महिला 5. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री 6. तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री 7. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी 8. स्नातक पाठयक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी।

उक्त प्रत्येक श्रेणी की प्राप्तांकों के आधार पर पृथक–पृथक मैरिट सूची बनाई जाएगी। उक्त प्राथमिकता क्रम में बिन्दु सं. 1 से 8 तक अंकित पाठ्यक्रमों में 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के विद्यार्थियो को प्राथमिकता दी जाएगी, अंत में राज्य से बाहर के विद्यार्थियो को सम्मिलित किया जायेगा।

7. अन्य पिछडा वर्ग की छात्रवृति के लिये छात्रावास का आशय शिक्षण संस्था/महाविद्यालय के स्वंय के भवन से है, जो संस्था के स्वयं के पर्यवेक्षण में संचालित किया जाता है।

8. संबधित तहसील के तहसीलदार अथवा उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।

9.गलत भुगतान होने पर प्राचार्य द्वारा वसूली की जाएगी।

**निम्नांकित दशाओं में छात्रवृति देय नहीं होगी।**

(क) शिक्षा का चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में दूसरे विषय में अध्ययन करने पर जैसे बी.कॉम करने के बाद बी.ए. में या एम.ए./एम.एस.सी/एम.कॉम के एक विषय में उत्तीर्ण होने के बाद दूसरे विषय में अध्ययन करने पर।

(ख) पूर्णकालिक नियोजन वाले विद्यार्थी (ग) अन्य छात्रवृतियाँ दी जा रही हैं।

10. अध्ययन काल में विद्यार्थी को केवल **एक प्रकार** की छात्रवृति/आर्थिक सहायता देय होगी ।

## निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ

| क्र.स. | छात्रवृति | पात्रता | आय सीमा | छात्रावास | अछात्रावास |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | राजस्थान के पूर्व सैनिको की पुत्रियों को देय छात्रवृति | सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर | अभिभावक आयदाता नही हो | – | स्नातक 150/– रू. |
| 2. | आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति | राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकेण्डरी/सी.सै. उपाध्यााय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो नवीनीकरण 50 प्रतिशत प्रांप्ताक | माता पिता की कुल वार्षिक आय 20,000रू. से | स्नातक 200 रू. स्नातकोत्तर 600रू. | स्नातक 120 रू. स्नातकोतर 240रू. |
| 3. | महिला योग्यता छात्रवृति | सीनीयर सैकेण्डरी ,अजमेर या केंन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंको से उत्तीर्ण की हो /नवीनीकरण 50 प्रतिशत अंको उत्तीर्ण होने पर | अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रू. या इससे कम हो | स्नातक 200 रू. स्नातकोतर 600 रू.<br><br>स्नातक 280 रू. स्नातकोतर 600रू. | स्नातक 120 रू. स्नातकोतर 240रू.<br><br>स्नातक अप्रैल से जुलाई तक 120 रू. जुलाई से मार्च तक 180रू. स्नातकोतर 240रू. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | स्वत्रंता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति | राजस्थान के स्वत्रंता सैनानियो के बच्चो एवं पोतों को अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर देय | 14,400 रू | — | 60 रू |
| 5. | मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति | 1. राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृतक कर्मचारी के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिये 2. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययनरत करने व उत्तीर्ण होने पर नवी. उत्तीर्ण होने पर | कोई आय सीमा नही | —<br>— | स्नातकोतर 500रू. प्रतिमाह दस माह स्नातकोतर 750रू. प्रति माह दस माह |
| 6. | कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृति | महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर नवीनीकरण | —<br>— | 300 रू. प्रतिमाह | 300 रू. प्रतिमाह |
| 7. | भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिको के बच्चों /विधार्थियों को छात्रवृति | महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए देय | — | — | — |

**टिप्पणियां:**

1. नूतन से तात्पर्य किसी पाठयक्रम के प्रथम वर्ष अर्थात् स्नातक में भाग प्रथम तथा स्नातकोतर पूर्वार्द्ध में प्रवेशित वर्ष में प्रथम बार मिलने वाली छात्रवृति से है। नवीनीकरण से आशय उस पाठ्यक्रम की समाप्ति तक प्रथम वर्ष के बाद वाले वर्षों की छात्रवृति से है ।
2. छात्रवृति की अवधि से आशय पाठ्यक्रम की अवधि से है जैसे स्नातक उपाधि हेतु 3 वर्ष तथा स्नातकोतर हेतु 2 वर्ष।
3. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियो के नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी का अच्छा आचरण एवं उपस्थिति की नियमित आवश्यकता है।
4. छात्रवृति सम्बन्धी सभी आवेदन पत्र ई—मित्र पर ऑनलाईन किये जा सकते हैं। विद्यार्थी एस. एस. ओ. आई. डी. के माध्यम से स्वयं भी आवेदन कर सकता है।

# सह शैक्षणिक सुविधाएं

**पुस्तकालय एवं वाचनालय :** महाविद्यालय में कक्षाओं में अध्ययन के साथ—साथ विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास व ज्ञानवर्द्धन हेतु एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त विशाल पुस्तकालय है। इसके अतिरिक्त वाचनालय में विविध प्रकार की पत्रिकायें एवं समाचार पत्र उपलब्ध रहते हैं। पुस्तकालय में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है। पुस्तकालय का कम्प्यूटरराईजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिचय—पत्र के साथ पंजीयन रजिस्टर में प्रविष्टि कर प्रवेश दिया जाता है।

## पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी नियम :

1. महाविद्यालय का पुस्तकालय केवल महाविद्यालय परिवार के लिए है।
2. सन्दर्भ पुस्तकों का उपयोग पुस्तकालय भवन में ही किया जा सकेगा। अन्य पुस्तकें विद्यार्थियों को दो सप्ताह के लिए उपलब्ध हो सकेगी जिन्हें आवश्यक होने पर विद्यार्थी से अवधि पूर्व भी मंगवाई जा सकती हैं।
3. पुस्तकालय में पूर्ण शान्ति बनाये रखना आवश्यक है ।
4. निर्धारित समय से विलम्ब पर प्रतिदिन 50 पैसे दण्ड देय होगा एवं न्यूनतम एक रूपया होगा तथा निरन्तर अनियमित की स्थिति में विद्यार्थी को पुस्तकालय के लाभ से वंचित कर दिया जावेगा।
5. पुस्तकालय में प्रवेश के समय अपना सामान द्वारपाल को सौपना होगा, जिसके लिये उसे एक टोकन दिया जावेगा। यह टोकन लौटाने पर विद्यार्थी पुनः अपना सामान प्राप्त कर सकेगा। पुस्तकालय में मोबाईल लाना पूर्णतः निषिद्ध है।
6. पुस्तकालय पंजिका में अपने हस्ताक्षर अवश्य करें।
7. **प्रत्येक नियमित स्नातक स्तर के विधार्थी को दो रीडर्स टिकट एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी को तीन रीडर्स टिकट दिये जायेंगें। जो वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व लौटाने होगें।**
8. परिचय–पत्र प्रस्तुत करने पर ही रीडर्स टिकट दिये जा सकेगें। ये टिकट हस्तान्तरित नही किए जा सकते है। रीडर्स टिकट खो जाने की स्थिति में बीस रूपये शुल्क जमा करवाकर दूसरी प्रति प्राप्त कर सकते है ।
9. रीडर्स टिकट पर जारी की गई पुस्तक की सुरक्षा का दायित्व विद्यार्थी का ही होगा। खोने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर विद्यार्थी को दो गुना मूल्य देना होगा ।
10. घर के लिये पुस्तक लेते समय परिचय–पत्र दिखाना आवश्यक होगा। निर्गमन विभाग से पुस्तक घर ले जाने से पूर्व पुस्तक की दशा स्वयं विद्यार्थी को देख लेनी होगी। पुस्तक निर्गमित होने के पश्चात या जमा कराते समय उसे किसी प्रकार क्षतिग्रस्त दशा में (पत्रो की कमी, तोड़ मरोड़ होने की स्थिति में पुस्तक का डेढ गुना मूल्य केवल एक बार के लिये) और पुनरावृति होने पर अधिक से अधिक दो गुना मूल्य वसूल होगा। इस विषय में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही हो सकेगी।
11. पुस्तकालय पूर्वाहन 10.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक खुलेगा पुस्तकों का लेन देन पूर्वाहन 10.30 बजे से अनराह्न 1.30 बजे तक ही होगा ।
12. यदि विद्यार्थी को पुस्तको /पत्रिकाओं ,समाचार पत्रो के पृष्ठ फाडते या छुपाते हुए पाया गया एवं अनुशानहीनता करने अथवा गम्भीर रूप से दोषी होने की दशा में महाविद्यालय से निलम्बित किया जा सकता है।
13. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होने पर पुस्तकालय में निर्गमन तथा लेन देन समय से पूर्व बन्द कर दिया जावेगा ।
14. परीक्षा के दौरान अध्ययन हेतु पुस्तक का दो गुना मूल्य अमानत राशि के रूप में जमा करवा कर विद्यार्थी पुस्तक प्राप्त कर सकता हैं।

## बुक बैंक (अ.जा./अ.ज.जा छात्रा)

महाविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनूसूचित जन जाति की छात्राओं को बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

## विद्यार्थी कल्याण योजना

विद्यार्थी की विविध प्रकार की समस्याओं का हल करने उनकी प्रगति को तीव्रतर करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये महाविद्यालय विशेष रूप से जागरूक एवं सचेष्ट हैं।

## योजना मंच

महाविद्यालय में एक योजना मंच कार्यरत है जो विद्यार्थियों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ चार्ट, भ्रमण, वाद–विवाद गोष्ठी सर्वेक्षण आदि के माध्यम से सहभागी बनाकर उनका ज्ञानवर्द्धक करता हैं।

## युवा विकास केन्द्र :

महाविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार युवाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगींण विकास करने, रोजगारोन्मुखी योजनाओ की जानकारी देने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये युवा विकास केंन्द्र संचालित हैं।

## रेमेडियल योजनाः

महाविद्यालय में रेमेडियल योजना के अन्तर्गत अनु.जाति/जन जाति/ अन्य पिछडा वर्ग/ विशेष पिछडा वर्ग व बी.पी. एल छात्र–छात्राओ को पुस्तके उपलब्ध कराई जाती है ।

## वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अध्ययन केंन्द्रः

राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे शिक्षा देने का अभिनव प्रयोग वर्द्धमान महावीर खुला वि.वि. कोटा ने प्रारम्भ किया है, इस महाविद्यालय में प्रारम्भ से ही वर्द्धमान महावीर खुला वि.वि. कोटा का परीक्षा केंन्द्र संचालित है। वर्तमान में यहा बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी., बी.एड., एम.ए., एम.फिल, पी.जी.डी.सी.ए., एम.बी.ए. तथा डी. लिब व अन्य डिप्लोमा की परीक्षायें आयोजित होती हैं।

# पाठ्येत्तर सुविधाएं

1. **खेलकूदः** महाविद्यालय में समस्त खेलों का प्रबन्ध क्रीड़ा समिति करती है, यहाँ कबड्डी, फुटबाल, वॉलीबाल, टी.टी, कुश्ती, बेडमिन्टन, बास्केट बाल, क्रिकेट, एथेलेटिक्स, की सुविधा उपलब्ध है। क्रिकेट, बैडमिन्टन एवं टी.टी. के लिए पृथक शुल्क देना होगा। बैडमिन्टन के खिलाडी अपना रैकेट स्वयं लायेंगे। संस्था में प्रतिवर्ष अन्तर संकाय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। योग्य खिलाड़ियो को अन्तर महाविद्यालय व उच्चतर स्तरों पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। महाविद्यालय परिसर में खेलो के नियमित अभ्यास करवाया जाता है।
2. **राष्ट्रीय सेवा योजना**ः राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, घातक रोगो, जैसे– एड्स, आदि के प्रति जागरूक कर स्वच्छता टीकाकरण, साक्षरता, महिला व बाल विकास, बंजर भूमि विकास आदि कार्यक्रमों से जोड़कर सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। वर्तमान में महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 100–100 विद्यार्थियों की चार इकाइयाँ कार्यरत है।
3. **राष्ट्रीय कैडेटस कोर**ः संकट की घड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में विद्याार्थियों को तैयार करने विद्यार्थियों को एक कम्पनी प्रशिक्षणरत है इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वर्ष भर मे 120 पीरियड उपस्थित रहना पड़ता है तथा दो वर्षो मे एक बार 10 दिवसीय शिविर में भाग लेना आवश्यक है। योग्य केडेटस को बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित किया जाता ह`l निर्देशानुसार राष्ट्रीय केडेट्स कोर में 30 प्रतिशत स्थानो पर छात्राओ को प्रवेश दिया जा सकेगा ।
4. **रोवर स्काउट गाईडः** विद्यार्थियो में सेवा भ्रातत्व भाव स्वावलम्बन अनुशासन व जनचेतना की भावना जागृत करने के लिये रोवर स्काउट के तीन क्रू एवं एक रेंजर टीम संचालित हैं। इसमें विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत प्रवीण, निपुण व रोवर राष्ट्रपति स्काउट के लिए शैक्षिक एवं साहसिक शिविरो का आयोजन किया जाता है ।
5. **छात्र संघ** ः आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार एवं महाविद्यालय संविधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा छात्र संघ गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियो को जनतंत्र की व्यावहारिक शिक्षा देना तथा महाविद्यालय के विकास कार्यो में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसका कार्यकाल एक शैक्षणिक सत्र होता है। छात्रसंध परामर्शदाता मण्डल के मार्ग दर्शन में कार्य करता है ।
6. **महिला छात्रावासः** महाविद्यालय में यू.जी.सी के अनुदान द्वारा निर्मित महिला छात्रावास में 30 कमरों में 60 छात्राओं के रहने के लिए पूर्ण सुविधाओं से युक्त व्यवस्था है। महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत वे छात्राएं जो नीमकाथाना से 08 किलोमीटर की परिधि के बाहर की निवासी हैं, आवेदन कर सकती हैं। छात्रावास में उपलब्ध स्थानों में सामान्यवर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं निशक्तजनों के लिए नियामानुसार कक्ष आरक्षित है।

यह छात्रावास छात्राओं के रहने के लिए पूर्व रूप से उपयुक्त है। सत्र 2022–23 के लिये छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के वेब पोर्टल पर S.N.K.P. Govt. College, Neemkathana के वेब पेज से डाउनलोड कर सकतें है। आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाना होगा। **महिला छात्रावास में प्रवेशित छात्राओं को ही नियमानुसार छात्रावासी छात्रवृति देय होगी, अन्य छात्राओं को छात्रावासी छात्रवृति हेतु नियमानसुार पात्र नहीं माना जायेगा।**

# महाविद्यालय परिवार

**प्राचार्य** – डॉ. हरिश कुमार (कार्यवाहक)

**उप प्राचार्य** – रिक्त

**अर्थ शास्त्र**

1 सुश्री निधि वर्मा (आयुक्तालय कार्य व्यवस्थार्थ )

**अंग्रेजी**

1 श्रीमती मनीषा

**इतिहास**

1. डॉ. राजीव रंजन

2. श्री सुभाष चन्द्र नेहरा

**दर्शन शास्त्र**

1. श्री आर.सी.बैरवा

**भूगोल**

1. श्री आर.सी. यादव
2. डॉ. महेश कुमार बबेरवाल
3. श्री जुगल किशोर बाज्या

**राजनीति शास्त्र**

1 डॉ. हेमेन्द्र सिंह राठौड.

2 डॉ. इन्द्राजमल यादव

3 डॉ. रेखा शर्मा ( संविदा व्याख्याता )

**समाज शास्त्र**

1 डॉ. बलवीर सिंह अभय

2 डॉ. चन्द्र कँवर पालावत (अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ )

**संस्कृत**

1 डॉ. संतोष कुमार सौरठा

2 रिक्त

**हिन्दी**

1 श्री प्रवीण कुमार

2 डॉ. देवी प्रसाद

**गणित**

1 डॉ. हरिश कुमार

2 डॉ. सुनील सक्सेना

**प्राणी शास्त्र**

1 डॉ. चन्द्रप्रभा

2 डॉ. अवधेश शर्मा अनिल

**भूगर्भ शास्त्र**

1 डॉ. के.के. मिश्रा

**भौतिक शास्त्र**

1.डॉ. संतोष कुमार सक्सेना
2. रिक्त

**रसायन शास्त्र**

1 श्री ईश्वरचन्द बलाई

2 डॉ. संजय कुमार

3 श्री हरिराम धनेटिया

4 डॉ. प्रदीप कुमार मिठारवाल

**वनस्पति शास्त्र**

1 डॉ. राजेश कुमार

2 रिक्त

**ई.ए.एफ.एम**

1 डॉ. ज्योत्सना कुलश्रेष्ठ

**व्यावसायिक प्रशासन**

1 रिक्त

**लेखा एवं सांख्यिकी**

1 डॉ. ए. क्यू चिश्ती ( अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ )

2 डॉ. एस.एन. सिंह

3 डॉ. प्रीति गुप्ता

**पी.टी.आई 01**

1 रिक्त

**पुस्तकालय अध्यक्ष 01**

1 रिक्त

## अशैक्षणिक कर्मचारी

| | | |
|---|---|---|
| श्री शीशराम कुम्हार | | AAO Grade-I (अंशकालिक) |
| श्री चुन्नी लाल सोनी | | O. S (प्रतिनियुक्ति) |
| श्री सुभाष चन्द्र पलसानियाँ | | Lab. Assistant. |
| सुश्री रंजना सुन्डा | कार्यालय सहायक | |
| श्री कैलाश चन्द गुर्जर | | |
| श्री गणेशनारायण गुर्जर | | |
| श्री लीलाधर गुर्जर | | |
| श्री श्रवण कुमार | | |

## सम्पादक मण्डल

1. डॉ. राजेश कुमार (संयोजक)
2. डॉ. ए. एस. अनिल